सं. सीबीए2-13011/1/2017-सीबीए2-पार्ट(1)

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 27 फरवरी, 2018

<u>आदेश</u>

विषयः कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की नीलामी हेतु कोयला खानों/ब्लॉकों की बोली हेतु कार्यपद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 8(5) के साथ पठित कोयला खान पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(क) के साथ पठित कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 के नियम 3(1) (घ) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार ने कोयले की बिक्री के लिए संबद्ध अधिनियम के तहत पहचानी गई कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्य पद्धति अनुमोदित की है, जैसा कि नीचे पैरा 2 में उल्लेख किया गया हैः

2.1 रूपए प्रति टन आधार पर कोयले की बिक्री हेतु कोयला खानों की नीलामी के लिए कार्य-पद्धतिः

2.1.2 बोली के मानदंडः नीलामी निचले क्रम से आरंभ होगी जिसमें बोली मानदंड रूपए/टन में मूल्य की पेशकश होगी जिसका राज्य सरकार को कोयले के वास्तविक उत्पादन पर भुगतान किया जाएगा।

न्यूनतम मूल्य कार्य पद्धति के अनुसार निर्धारित रूपए प्रति टन आधार पर यूनिट अनुपात होगा, जैसा कि अनुबंध-I में कोयला मंत्रालय के आदेश सं.1306/9/2014/सीए-III, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के क्रम संख्या 1 में उल्लेख किया गया है।

अधिकतम मूल्य की पेशकश (अंतिम मूल्य प्रस्ताव) करने वाला बोलीदाता सफल बोलीदाता होगा।

2.1.2 कोयले की बिक्री और/अथवा उपयोगः कोयला खान से कोयले की बिक्री और/अथवा उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सफल बोलीदाता किसी भी तरीके से कोयले की बिक्री के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि संबद्ध और संबंधित पक्षों से बिक्री कैप्टिव खपत के लिए कोयले के उपयोग और कोयले के निर्यात सहित बोलीदाता द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

2.1.3 कोयला उत्पादन कार्यक्रमः सफल बोलीदाता को बाजार परिदृश्य पर निर्भर करते हुए अपने उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए कुछ छूट होगी और उसे कोयला खान की पीक रेटिड क्षमता से कम अपने उत्पादन को घटाने की अनुमति होगी। सफल बोलीदाता को खनन योजना और सांविधिक अनुमोदनों में संशोधन के अध्यधीन अपने उत्पादन को बढ़ाने की भी अनुमति होगी। जैसा कि सफल बोलीदाता को अपने उत्पादन की मात्रा (खनन योजना के अनुसार सीमा के अध्यधीन) को बढ़ाने की अनुमति होगी, अर्थव्यवस्था में गिरावट अथवा ऐसे अन्य मामले में वास्तविक उत्पादन में कमी की अनुमति है, लेकिन खनन योजना के अनुसार उत्पादन के 50% से कम नहीं। तथापि, पांच वर्ष के किसी ब्लॉक में, सफल बोलीदाता को खनन योजना के अनुसार उत्पादन का कम से कम 70% खनन करना होगा।

2.1.4 अंतिम मूल्य की पेशकश का वार्षिक समायोजन (अप्रत्याशित लाभ सहित, यदि कोई है): अप्रत्याशित लाभ को लागतों में वृद्धि की तुलना में राजस्व में एक अति महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया के रूप में खनन पट्टे की अवधि के दौरान, आशा की जाती है कि मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन की लागत के साथ कोयले की बिक्री मूल्य में वृद्धि होगी। कुछ पारिस्थितियों में अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सफल बोलीदाता के लाभ में काफी बढ़ोतरी होगी।

अप्रत्याशित लाभ (यदि कोई है) सहित संभावित अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए अंतिम मूल्य पेशकश (रूपए/टन) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वेबसाइटः www.eaindustry.nic.in) द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक- कोयला (संबद्ध श्रेणी का) से संबद्ध वार्षिक रूप से समायोजन के साथ बोली के वर्ष के लिए आधार के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे आंकड़े किसी भी समय अंतिम मूल्य पेशकश से कम नहीं होने चाहिए। समायोजित अंतिम मूल्य पेशकश के निर्धारण हेतु उपर्युक्त गणना करने और सफल बोलीदाता से इसका संग्रहण का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होगा।

2.2 कोयले की बिक्री के लिए दक्ष और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के सृजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए संबद्ध प्रोसेसिंग अवसंरचना सहित कोयला खनन गतिविधियों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति होगी। इसके लिए नोडल मंत्रालय/विभाग अर्थात औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से संपर्क किया जाएगा।

2.3 सफल बोलीदाता द्वारा कोयले की धुलाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

2.4 कोयले की बिक्री के लिए खानों की नीलामी की जाएगी और कोयला मंत्रालय द्वारा उनकी समय सीमा पर निर्णय लिया जाएगा।

2.5 कोयला मंत्रालय द्वारा पात्रता मानदंडों सहित निबंधन एवं शर्तों/पद्धतियों पर निर्णय लिया जाएगा।

2.6 कोयला खानों की नीलामी के लिए उपर्युक्त पद्धति एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत कोयले की बिक्री हेतु नीलाम की जाने वाली कोयला खानों पर भी लागू होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रिषन रिंथाथियांग)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय।
2. संयुक्त सचिव(एनकेएस), कोयला मंत्रालय, एमएमडीआर अधिनिय, 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक उपबंधों के तहत कोयला खानों की नीलामी के संबंध में उचित आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभागः उपर्युक्त पैरा 2.2 के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिः

1. तकनीकी निदेशक (एनआईसी)- कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

****

अनुबंध-II

<u>अति तत्काल</u>

सं.1306/9/2014-सीए-III

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 26 दिसम्बर, 2014

<u>आदेश</u>

विषयः कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी एवं आवंटन के लिए फ्लोर/रिजर्व मूल्य निर्धारित करने हेतु पद्धति।

कोयला खान (विशेष उपबंध), नियम, 2014 के नियम 8(3) और कोयला खान (विशेष उपबंध), अध्यादेश, 2014 की धारा 8(5) के अनुसार सरकार ने कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन के लिए फ्लोर/रिजर्व मूल्य निर्धारित करने हेतु पद्धति को निम्नानुसार अनुमोदित किया हैः-

<u>फ्लोर/रिजर्व मूल्य निर्धारित करने हेतु पद्धति</u>

1. **इस्पात, स्पॉन्ज आयरन, सीमेंट, कैप्टिव विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों हेतु नीलामी के लिए फ्लोर मूल्य निर्धारित करने हेतुः**

कोयला ब्लॉक के वास्तविक मूल्य का परिकलन रियायती धनापूर्ति (डीसीएफ) पद्धति के आधार पर इसके निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के संगणन द्वारा जाएगी। इस वास्तविक मूल्य के 10% का भुगतान 5%, 2.5% और 2.5% की तीन किश्तों में अग्रिम भुगतान किया जाएगा, जैसा कि बोली दस्तावेज में निर्धारित है। रूपए/टन (अर्थात फ्लोर मूल्य) के संदर्भ में यूनिट अनुपात के बराबर आने के लिए तब अंतिम एनपीवी (बोलीदाता से प्राप्त अग्रिम भुगतान को घटाने के बाद) को वार्षिक मूल्य किया जाएगा। वास्तविक मूल्य की गणना हेतु इस मामले में प्रस्ताव है कि एनपीवी की संगणना के लिए तदनुरूपी जीसीवी बैंड हेतु गैर-विनियमित क्षेत्रों के लिए सीआईएल के वर्तमान अधिसूचित मूल्य (घरेलू कोयले का मूल्य) को ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, फ्लोर मूल्य 150 रूपए प्रति टन से कम नहीं होना चाहिए। अंतिम बोली मूल्य (रूपए/टन) डब्ल्यूसीपीआई से संबद्ध वार्षिक वृद्धि के साथ बोली के वर्ष के लिए आधार के रूप में माना जाएगा। कोयले पर देय सांविधिक रॉयल्टी वर्तमान नियमों के अनुसार जारी रहेगी।

2. शुल्क दर आधारित बोली (मामला-2) पर भविष्य में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाली कोयला खानों/ब्लॉकों के लिए रिजर्व मूल्य निर्धारित करने हेतु, और

3. विनिर्दिष्ट अंत्य उपयोगों के लिए सरकारी कंपनियों को आवंटित की जाने वाली कोयला खानों/ब्लॉकों के लिए रिजर्व मूल्य निर्धारित करने हेतुः

सफल आवंटी द्वारा वास्तविक उत्पादन के अनुसार 100 रूपए/टन का एक निर्धारित रिजर्व मूल्य देय होगा। कोयले पर देय सांविधिक रॉयल्टी वर्तमान नियमों के अनुसार जारी रहेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्युत शुल्क दर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सफल आवंटी को निविदा/आवंटन दस्तावेज के अनुसार अग्रिम भुगतान करना होगा। इन दो श्रेणियों के तहत कोयले पर कोई बोली नहीं है। पूर्व-निर्धारित फार्मूले का उपयोग करके 'रिजर्व मूल्य' में वृद्धि की जा सकती है जिसे मामला-। बोली हेतु अब प्रचालित मानक बोली दस्तावेजों में निर्धारित किया गया है, जैसा कि कैप्टिव खानों से ईंधन की लागत की वृद्धि हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। तथापि, शुल्कदर आधारित पीपीए (मामला-2) के माध्यम से प्राप्त की गई विद्यमान उत्पादन क्षमता के लिए ईंधन की व्यवस्था करना विद्युत प्राप्त करने वाले का दायित्व है। ऐसे मामला-2 की परियोजनाएं कोयला ब्लॉकों के लिए नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. **लागत प्लस पीपीए वाली उत्पादन क्षमता अथवा शुल्क दर बोली आधारित पीपीए वाली उत्पादन क्षमता/लागत प्लस पीपीए के माध्यम से प्राप्त का जाने वाली उत्पादन क्षमता अथवा भविष्य में (मामला-1) शुल्क दर बोली आधारित पीपीए के माध्यम से प्राप्त से जाने वाली उत्पादन क्षमता के लिए नीलाम की जाने वाली कोयला खानों ब्लॉकों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने हेतुः**

क. प्रत्येक कोयला ब्लॉक के लिए सीआईएल द्वारा अधिसूचित मूल्य का अधिकतम मूल्य निर्धारित होगा और बोलीदाता इस अधिकतम मूल्य से कम मूल्य प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिकतम मूल्य को समतुल्य श्रेणी के रन-ऑफ-माइन (आरओएम) मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि विद्युत क्षेत्र के लिए सीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सबसे कम मूल्य प्रस्तुत करने वाला बोलीदाता सफल बोलीदाता होगा। इसे कोयला ब्लॉक से संयंत्र के हस्तांतरण मूल्य हेतु लिया जाएगा। ऊर्जा प्रभार पर विचार करने के उद्देश्य से पूर्व-निर्दिष्ट वृद्धि फॉर्मूले के अनुसार कोयले के अंतिम बोली मूल्य में वृद्धि होगी। यह पद्धति सुनिश्चित करेगी कि कम बोली मूल्य का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है।

ख. कोयले के बोली मूल्य को बोली के वर्ष हेतु आधार के रूप में माना जाएगा और पूर्व-निर्दिष्ट फॉर्मूले के अनुसार इसमें वृद्धि की जा सकती है जिसे मामला-1 की बोली हेतु अब प्रचालित मानक बोली दस्तावेज में बताया गया है, जैसा कि कैप्टिव खानों से ईंधन की लागत की वृद्धि हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

ग. सफल आवंटी द्वारा वास्तविक उत्पादन के अनुसार कोयले के 100 रूपए/टन का एक निर्धारित रिजर्व मूल्य देय होगा। कोयले पर देय सांविधिक रॉयल्टी वर्तमान नियमों के अनुसार जारी रहेगी अर्थात सीआईएल द्वारा अधिसूचित मूल्य पर। इसी प्रकार, उपर्युक्त 'ख' के अनुसार इसी फॉर्मूले का उपयोग करके रिजर्व मूल्य में वृद्धि की जा सकती है।

घ. सफल आवंटी 5%, 2.5% और 2.5% की तीन किश्तों में कोयला ब्लॉक के वास्तविक मूल्य रूपए 10% की दर से अग्रिम भुगतान करेगा जैसा कि बोली दस्तावेज में बताया गया है।

ङ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयले के लाभ उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:-

I. लागत प्लस पीपीए वाली उत्पादन क्षमता अथवा लागत प्लस पीपीए के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली उत्पादन क्षमता के लिएः

लागत प्लस पीपीए के लिए ईंधन की लागत निर्धारित करने के उद्देश्य से एक उचित आयोग बाद की वृद्धि के साथ कोयले के बोली मूल्य की अनुमति देगा, जैसा कि कोयला ब्लॉक बोली दस्तावेज में दिया गया है, अन्य अनुमत योग्य व्यय और वसूली के साथ कोयले की रन ऑफ माइन (आरओएम) लागत के समान होने के कारण, बशर्ते कि इससे पीपीए की अवधि के बिना अधिक ऊर्जा प्रभार न हों तब जिसे विद्यमान पीपीए की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता था।

II. शुल्क दर बोली आधारित पीपीए (मामला-1) के माध्यम से प्राप्त की गई उत्पादन क्षमता के लिएः

सांविधिक वसूली और ऊर्जा प्रभार के अन्य अनुमत योग्य घटकों के साथ कोयले की रन ऑफ माइन (आरओएम) लागत के समान होने के कारण, जैसा कि कोयला ब्लॉक बोली दस्तावेज में उपलब्ध है, बाद की वृद्धि के साथ कोयले के वास्तविक बोली मूल्य को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त आयोग प्रस्तुत किए गए ऊर्जा प्रभार की समीक्षा करेगा, बशर्तों कि ऐसा संशोधन पीपीए की अवधि के दौरान उच्च ऊर्जा प्रभार नहीं होने चाहिए वरना जिसे विद्यमान पीपीए की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता था। इस उद्देश्य के लिए, पीपीए के उपबंधों के अनुसार कम हो रही शुल्क दर की

समीक्षा हेतु उपयुक्त आयोग को समक्ष बनाने के लिए नए उपबंधों के तहत कोयले के आवंटन को 'विधि में परिवर्तन' के रूप में माना जाएगा।

III. **भविष्य में शुल्क दर आधारित पीपीए (मामला-1) के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली उत्पादन क्षमता हेतुः** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत शुल्क दर को अपनाते हुए उपयुक्त आयोग सुनिश्चित करता है कि सांविधिक वसूली और ऊर्जा प्रभार के अन्य अनुमत योग्य घटकों के साथ कोयले की रन ऑफ माइन (आरओएम) लागत के समान होने के कारण, जैसा कि कोयला ब्लॉक बोली दस्तावेज में उपलब्ध है, बाद की वृद्धि के साथ ऊर्जा प्रभार कोयले के वास्तविक बोली मूल्य पर आधारित है।

IV. इस उद्देश्य के लिए विद्युत मंत्रालय शुल्क दर नीति और/अथवा बिजली अधिनियम, 2003 के तहत जारी बोली दिशानिर्देशों में उपयुक्त उपबंध बनाएगा।

च. उस विद्युत संयंत्र के लिए जिसके पास अनुबंधित क्षमता नहीं है, इसमें बोलीदाता बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 63 के तहत अनुबंधित मध्यम एवं दीर्घावधिक पीपीए के बाहर विद्युत की बिक्री हेतु आवंटित कोयला ब्लॉक के संबद्ध उत्पादन क्षमता की अपनी मरचेंट क्षमता 15% तक सीमित करने हेतु अधिदेशित होगा। इसके अलावा, बोलीदाता को मरचेंट बाजार में बेची गई विद्युत के लिए रिजर्व मूल्य की मात्रा हेतु अतिरिक्त रिजर्व मूल्य का भुगतान करना होगा। विद्युत की मरचेंट बिक्री के लिए उपयोग किए गए कोयले के लिए अतिरिक्त रिजर्व मूल्य रूपए/टन के संदर्भ में वार्षिक रूप से उत्पादन में वार्षिक कोयला ब्लॉक के वास्तविक मूल्य पर आधारित होगा। वास्तविक मूल्य इस्पात/स्पॉन्ज आयरन/सीमेंट सेक्टर/कैप्टिव विद्युत के लिए विद्यमान अनुमोदित पद्धति से लिया जा सकता है। अतिरिक्त रिजर्व मूल्य 150 रूपए/टन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिणामी अतिरिक्त रिजर्व मूल्य (रूपए/टन) को डब्ल्यूपीआई से संबद्ध वार्षिक वृद्धि के साथ बोली के वर्ष हेतु आधार के रूप में माना जाएगा।

5. बोली की निर्धारित तारीख के बाद सीआईएल मूल्य का आगे और किसी संशोधन का पहले से बोली लगाए गए ब्लॉकों के बोली मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उस मूल्य पर वृद्धि को उपर्युक्त पैरा 4 (ख) में पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। कोयला ब्लॉकों की आगे बोली के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के लिए उस समय प्रचालित सीआईएल मूल्य को माना जाएगा।

6. जैसा कि कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 की धारा 4(2) में दिया गया है, कोयले की बिक्री के उद्देश्य से कोयला ब्लॉकों की नीलामी/आवंटन के लिए एक अलग पद्धति तैयार की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. के. शाही)
निदेशक
दूरभाषः 23382807

नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण,
कोयला मंत्रालय,

प्रतिः

तकनीकी निदेशक (एनआईसी), कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।